कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं पदेन उपसचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंदन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक/4546 01/अ–82/2015–16 दंतेवाड़ा,दिनांक 24/08/2017

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालॅम (1) से (4) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (6) मे दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम,2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कालॅम (5) मे उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :–

–अनुसूची –

जिला	तहसील	नगर/ग्राम प.ह.न.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा दंतेवाड़ा	कुआकोंण्डा	फुलपाड़ प0ह0न0 06	7.550 हेक्टेयर	कार्यपालन अभियंता,जल संशाधन विभाग दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	फुलपाड जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उंपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवश के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एव. उपयुक्तता लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात के निर्धारण के निष्कर्षों के बारे मे अपना दावा /आपत्ति लिखि तमे कलेक्टर को स्वंय अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4 प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन का निहीत नही है।

5 प्रस्तावित प्रंयोजन के भू–अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रुप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना मे सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6 प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व दंतेवाड़ा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्ति किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सौरभ कुमार)
कलेक्टर,
जिला दक्षिण बस्तर
एवं पदेन उपसचिव छ0ग0शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंदन विभाग

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक /4548 01 / अ–82 / 2015–16 दंतेवाड़ा,दिनांक 24 / 08 / 2017

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि नीचे अनुसूची के कालॅम (1) से (4) में दर्शित भूमि की, अनुसूची के कॉलम (7) मे दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि–अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जसे एतद् पश्चात अधिनियम,2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार सभी संबधित व्यक्तियों को इस इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूची के कालॅम (6) मे उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :–

–अनुसूची –

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन. का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.न.	खसरा न.	क्षेत्रफल.हे0.में		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	कुआकोंण्डा	फुलपाड़ / प. ह0न0 –6	1566	0.260	कार्यपालन अभियंता जलसंशाधन संभाग दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	फुलपाड़ जलाशय एवं नहर निर्माण हेतु
			1560	0.170		
			1562	0.150		
			407	0.030		
			1559	0.060		
			406	0.090		
			1133	0.090		
			1132	0.480		
			1126	0.070		
			1127	0.240		
			410	0.010		
			1131	0.010		
			1124	0.250		
			1575	1.770		
			1577 / 1	0.600		
			1577 / 4	0.050		
			1580 / 4	0.030		
			1580 / 5	0.100		
			1583 / 3	0.060		
			1584	0.790		
			1585 / 2	0.290		
			1586	0.420		
			1577 / 2	0.210		
			1577 / 3	0.070		
			1578	0.070		
			1580 / 2	0.240		
			1583 / 1	0.450		
			1585 / 1	0.080		
			316 / 2	0.350		
			1580 / 3	0.060		
योग			30 खसरा	7.550		

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवश के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एव. उपयुक्तता लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाघात के निर्धारण के निष्कर्षों के बारे मे अपना दावा /आपत्ति लिखि तमे कलेक्टर को स्वंय अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दंतेवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

4 प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रस्तावित परिवार का विस्थापन का निहीत नही है।

5 प्रस्तावित प्रंयोजन के भू–अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रुप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना मे सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

6 प्रस्तावित भू–अर्जन के लिए अधिनियम, 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी,राजस्व दंतेवाड़ा को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्ति किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सौरभ कुमार)
कलेक्टर,
जिला दक्षिण बस्तर
एवं पदेन उपसचिव छ0ग0शासन
राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग